Naveen Shodh Sansar (An International Refereed / Peer Review Multidisciplinary Research Journal)
RNI No.- MPHIN/2013/60638, ISSN 2320-8767, E- ISSN 2394-3793, Scientific Journal Impact Factor (SJIF)- 8.054,
January to March 2025 E-Journal, Volume I, Issue XLIX, ISO 9001:2015 - E2024049304 (QMS)

# सागर जिले में महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक विकास में महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन

**डॉ. मन्सूर खान* सुदर्शन केशरवानी****

* विभागध्यक्ष (वाणिज्य) पीएमसीओई शा. माधव महाविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत
** शोधार्थी, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन (म.प्र.) भारत

**शोध सारांश –** मध्यप्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में स्थित सागर जिला है, जहाँ परम्परागत सामाजिक संरचना में महिलाओं की भूमिका सीमित रही है। वर्तमान में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के माध्यम से महिलाओं के शैक्षिक, स्वास्थ्य और सुरक्षा स्तर में सुधार लाने के प्रयास किए जा रहे है। यह शोध पत्र जिले में संचालित योजनाओं जैसे – प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, महिला शक्ति केन्द्र, बेटी बचाओ – बेटी पढ़ाओं, पोषण अभियान आदि के क्रियान्वयन की समीक्षा करता है और उनके महिलाओं की सामाजिक स्थिति, आर्थिक निर्भरता और पारिवारिक निर्णयों में सहभागिता पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करता है। योजनाओं के संचालन में आ रही समस्याओं जैसे – प्रशासनिक कमियाँ, बजट में विलम्ब, जागरूकता की कमी, सामाजिक समस्याएँ और निगरानी तंत्र की कमजोरियों को व्यक्त करता है। योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ाने हेतु सुझाव प्रस्तुत किए गये है। यदि इन योजनाओं का क्रियान्वयन अधिक संगठित, पारदर्शी और सामुदायिक सहयोग पर आधारित हो तो सागर जिले में महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण और सुदृढ़ हो सकता है।

**शब्द कुंजी –** महिला एवं बाल विकास विभाग, सामाजिक संरचना, आर्थिक विकास, सरकारी योजनाएँ, महिला सुरक्षा, ग्रामीण विकास, सामाजिक परिवर्तन, महिला सशक्तिकरण।

**प्रस्तावना –** जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होता, तब तक विश्व का कल्याण संभव नहीं है। किसी चिड़िया के लिए एक पंख से उड़ना संभव नहीं है।[1] महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और सशक्तीकरण की दिशा में बेहतर लक्ष्य हासिकल किये बिना विकास का सफर तय नहीं किया जा सकता है। देश की आबादी में महिलाओं की संख्या करीब 49 प्रतिशत है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका धीरे–धीरे आर्थिक रूप से सशक्त होती जा रही है, इसका श्रेय काफी हद तक सरकारी योजनाओं को जाता है। सागर जिला, मध्यप्रदेश राज्य के बुन्देलखण्ड अंचल में स्थित है। यहाँ की सामाजिक संरचना में महिलाएँ पारम्परिक रूप से घरेलू कार्यों तक सीमित रही है, लेकिन महिला एवं बाल विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं ने इस ढाँचे को चुनौती दी है और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध हुई है। प्रस्तुत शोध पत्र सागर जिले में महिलाओं के सामाजिक–आर्थिक विकास में महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है।

**सागर जिले की सामाजिक पृष्ठभूमि** – सागर जिले की जनसंख्या 23.78 लाख (वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार) है, इसमें महिलाओं की संख्या 11,22,201 (47.2 प्रतिशत) है। सागर जिले का सामाजिक ढाँचा पारम्परिक है, जिले की ग्रामीण जनसंख्या 1669662 (70.2 प्रतिशत) तथा नगरीय जनसंख्या 708796 (29.8 प्रतिशत) है, यहाँ पुरूष प्रधान मानसिकता आज भी प्रचलित है। जिले की साक्षरता दर 76.5 प्रतिशत है, जिसमें पुरूष साक्षरता दर 84.8 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 67 प्रतिशत है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की साक्षरता दर शहरी क्षेत्रों की तुलना में कम है, परन्तु गत दशक में लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता की दर बढ़ी है।

**महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रमुख योजनाएँ :–**

**प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना –** गर्भवती महिलाओं को पोषण भत्ता और स्वास्थ्य सुविधा देने वाली यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए अत्यन्त लाभकारी है।

**महिला शक्ति केन्द्र –** ग्राम स्तर पर महिलाओं को सूचना, प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करने की दिशा में यह योजना महत्वपूर्ण रही है।

**बेटी बचाओ – बेटी पढ़ाओ –** इस योजना में बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया है, विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका जन्म दर सुधारने में भी यह योजना सफल रही है।

**समेकित बाल विकास योजना (ICDS) –** इस योजना के अन्तर्गत बच्चों, गर्भवती एवं छात्री माताओं के पोषण एवं स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाता है। यह योजना आँगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से सम्पूर्ण देश में संचालित है।

**आत्म निर्भर महिला अभियान –** इस अभियान के तहत महिलाओं को स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। महिला हेल्प लाइन 181 महिलाओं की सुरक्षा, सहायता और मार्गदर्शन हेतु यह सेवा महत्वपूर्ण है।

**शक्ति सदन –** निर्धनता का सामना कर रही महिलाओं के सशक्तीकरण के

लिए घर और संस्थागत सहायता प्रदान करने वाली स्वाधार गृह (बेसहारा महिलाओं के लिए) और उज्जवला गृह (पीड़ित और तस्करी) को शक्ति सदन में शामिल किया गया है। शक्ति सदनों में निवास करने वाली महिलाओं के बैंक खाते में 500/– रूपये की मासिक राशि जमा होगी, यह उन्हें सदन से बाहर जाने पर दी जायेगी।

सरकार द्वारा कई योजनाओं को देश की नारी शक्ति को सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है। स्वच्छ भारत मिशन से महिलाओं को गरिमा मिली। जन–धन योजना से उन्हें बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा गया। उज्जवला योजना से लाखों घरों को धुएँ से मुक्ति दिलायी। मुद्रा योजना से महिलाओं को स्वयं का व्यवसाय प्रारम्भ करने का अवसर मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना में महिलाओं के नाम पर घर देने से उन्हें सम्पत्ति में हिस्सेदारी मिली। लाड़ली बहना योजना से महिलाओं को नकद सहायता प्रदान कर परिवार में उनकी भूमिका को बढ़ाया है। माता–बहनों ने वो दौर भी देखा है, जब उन्हें कदम–कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, लेकिन आज विकसित भारत के संकल्प से महिलाओं के नेतृत्व में विकास से उनकी भागीदारी बढ़ी है।

**योजना का सामाजिक प्रभाव –** सरकारी योजनाओं ने महिलाओं और उनके परिवारों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के महत्व के प्रति सजग किया है। योजनाओं के चलते कई परिवार महिलाओं को काम करने और स्वरोजगार अपनाने (स्व–सहायता समूह) के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। सामाजिक रूढ़ियों में कमी से पारिवारिक सोच में बदलाव देखा गया है, जैसे – लड़कियों की शिक्षा से रोकने की प्रवृत्ति में कमी आयी है।

**योजनाओं का आर्थिक प्रभाव –** महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रोत्साहित स्व–सहायता समूहों ने महिलाओं को छोटे व्यापार, सिलाई, पापड़ निर्माण, हस्तकला, ब्यूटी पार्लर आदि में आत्मनिर्भर बनाया है।

**कौशल विकास प्रशिक्षण –** महिलाओं को टेलरिंग, कम्प्यूटर, ब्यूटीशियन जैसे प्रशिक्षण देकर उन्हें आय अर्जित करने योग्य बनाया गया है। बैंकिंग सेवाओं तक पहुँच – योजनाओं के माध्यम से महिलाएँ बैंकिंग सेवाओं, जन–धन योजना, मुद्रा योजना इत्यादि से जुड़ने लगी है।

**आर्थिक निर्णयों में भागीदारी –** महिलाएँ अब घरेलू आर्थिक निर्णयों में सक्रिय भूमिका निभाने लगी है। जैसे – घर का बजट, बचत, बच्चों की शिक्षा आदि। (लाड़ली बहना योजना)

**अध्ययन के उद्देश्य :**

1. सागर जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का विश्लेषण करना।
2. सागर जिले में महिलाओं की सामाजिक संरचना में आए परिवर्तनों को समझना।
3. महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं का महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन पर प्रभावों का अध्ययन करना।
4. योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं एवं चुनौतियों की पहचान करना।

**अध्ययन का महत्व :**

1. सागर जिले की महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तनों को दस्तावेजबद्ध करता है।
2. प्रस्तुत शोध पत्र नीति निर्माताओं, सरकारी संस्थाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए उपयोगी होगा।
3. महिलाओं के विकास में सामाजिक अवरोधों की पहचान कर, उनके समाधान की दिशा में सुझाव प्रदान करता है।
4. भविष्य में महिला सशक्तीकरा से जुड़ी योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए एक आधारभूत संदर्भ प्रदान करता है।

**शोध की परिकल्पनाएँ :**

1. सागर जिले की ग्रामीण महिलाओं में योजनाओं के प्रति जागरूकता अब भी सीमित है।
3. शासकीय योजनाओं से महिलाओं की सामाजिक संरचना में सकारात्मक परिवर्तन आया है।

**शोध अध्ययन की प्रविधि –** प्रस्तुत शोध अध्ययन की प्रकृति वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक है। शोध अध्ययन का क्षेत्र सागर जिले के विभिन्न विकासखण्डों से किया गया है। शोध अध्ययन हेतु डेटा संग्रह द्वितीयक स्त्रोतों पर आधारित है, जिसमें सरकारी रिपोर्ट्स, पुस्तकें, प्रकाशित शोध पत्र, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं से आँकड़ें संग्रहित किए गए है। इनका विभिन्न सांख्यिकीय विधियों और तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है।

शोध पत्र का अध्ययन क्षेत्र सागर जिला है। सागर जिले की 100 महिला उत्तरदाताओं से साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से तथ्यों को एकत्रित किया गया है। तथ्यों को एकत्रित करने के लिए अवलोकन प्रणाली का प्रयोग किया गया। दैव निदर्शन प्रणाली के माध्यम से उत्तरदाताओं का चयन करके साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से तथ्यों का एकत्रीकरण किया गया है।

**तालिका क्रमांक 1: न्यादर्श महिलाओं की जाति वर्ग विश्लेषण की स्थिति**

| क्र. | उत्तरदाताओं का विवरण | उत्तरदाताओं की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | अनुसूचित जाति | 28 |
| 2 | अनुसूचित जनजाति | 3 |
| 3 | अन्य पिछड़ा वर्ग | 50 |
| 4 | अनारक्षित | 19 |
| | **कुल योग** | **100** |

तालिका क्रमांक 1 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सर्वेक्षित क्षेत्र की न्यादर्श महिलाओं में 28 अनुसूचित जाति वर्ग की है,3 अनुसूचित जनजाति वर्ग से है, 50 अन्य पिछड़ा वर्ग से है तथा 19 अनारक्षित वर्ग से है।

**तालिका क्रमांक 2: सागर जिले में महिला हितग्राहियों की जागरूकता की स्थिति**

| महिला हितग्राही जागरूक है | महिला हितग्राही जागरूक नहीं है |
|---|---|
| 34 प्रतिशत | 66 प्रतिशत |

तालिका क्रमांक 2 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सर्वेक्षित क्षेत्र से 34 प्रतिशत उत्तरदाता जागरूक है, जबकि 66 प्रतिशत उत्तरदाता जागरूक नहीं है। इसका कारण ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं का कम शिक्षित होना तथा योजनाओं का तकनीकी विस्तार होना है। ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क की कमी सरकारी योजनाओं का पर्याप्त प्रचार–प्रसार के बाद भी महिला हितग्राही जागरूक नहीं है।

**तालिका क्रमांक 3 : महिला बाल विकास विभाग की योजनाओं से महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार की स्थिति**

| हाँ जीवन स्तर में सुधार हुआ | नहीं जीवन स्तर में सुधार नहीं हुआ | कह नहीं सकते |
|---|---|---|
| 77 प्रतिशत | 13 प्रतिशत | 10 प्रतिशत |

योजनाओं के संचालन से 77 प्रतिशत उत्तरदाताओं के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। 13 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार उनके जीवन स्तर में सुधार नहीं हुआ है, 10 प्रतिशत उत्तरदाताओं का उत्तर स्पष्ट नहीं है। महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार हुआ है।

**तालिका क्रमांक 4: न्यादर्श महिलाओं की शिक्षा स्तर की स्थिति**

| प्राथमिक | माध्यमिक | हाईस्कूल | हायर सेकेण्डरी | स्नातक | स्नातकोत्तर |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 प्रतिशत | 20 प्रतिशत | 28 प्रतिशत | 18 प्रतिशत | 17 प्रतिशत | 6 प्रतिशत |

तालिका क्रमांक 4 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि 11 प्रतिशत न्यादर्श महिलाएँ प्राथमिक शिक्षा स्तर की है, 20 प्रतिशत उत्तरदाता का शिक्षा स्तर माध्यमिक है, 28 प्रतिशत उत्तरदाताओं का शिक्षा स्तर हायर सेकेण्डरी है, 17 प्रतिशत न्यादर्श महिलाएँ स्नातक स्तर की है जबकि 6 प्रतिशत उत्तरदाताओं की शिक्षा स्नातकोत्तर स्तर की है।

**तालिका क्रमांक 5: बेटी बचाओ – बेटी पढ़ाओ योजना से बेटियों के प्रति समाज की सोच में परिवर्तन आने की स्थिति**

| बहुत अच्छा | सामान्य | कोई जानकारी नहीं |
|---|---|---|
| 50 प्रतिशत | 41 प्रतिशत | 9 प्रतिशत |

तालिका क्रमांक 5 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि बेटी बचाओ – बेटी पढ़ाओ योजना से बेटियों के प्रति समाज की सोच में 50 प्रतिशत न्यादर्श महिलाओं के अनुसार बहुत अच्छा परिवर्तन आया है जबकि 41 प्रतिशत उत्तरदाताओं के अनुसार बेटी बचाओ – बेटी पढ़ाओ योजना से सामान्य परिवर्तन आया है। 9 प्रतिशत न्यादर्श का मत स्पष्ट नहीं है, उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है।

**तालिका क्रमांक 6: मुख्यमंत्री लाड़ली बहना की राशि का उपयोग आप स्वयं करती है।**

| हाँ | नहीं | कह नहीं सकते |
|---|---|---|
| 81 प्रतिशत | 12 प्रतिशत | 9 प्रतिशत |

तालिका क्रमांक 6 से स्पष्ट होता है कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना से प्राप्त राशि का उपयोग 78 प्रतिशत उत्तरदाता महिला द्वारा स्वयं किया जाता है, 12 प्रतिशत न्यादर्श महिलाओं को योजना से प्राप्त राशि का उपयोग परिवार के अन्य लोगों द्वारा किया जाता है, 9 प्रतिशत उत्तरदाताओं की स्थिति स्पष्ट नहीं है। इस प्रकार अधिकांश न्यादर्श महिलाएँ स्वयं लाड़ली बहना योजना राशि का उपयोग स्वयं करती है। इससे परिवार में उनकी स्थिति सम्मानपूर्ण हुई है।

**परिकल्पना परीक्षण :–**

**परिकल्पना 1 –** सागर जिले की ग्रामीण महिलाओं में योजनाओं के प्रति जागरूकता अब सीमित है। उपरोक्त परिकल्पना को लेकर किये गये शोध कार्य के अन्तर्गत तालिका क्रमांक 2 के अध्ययन पश्चात् यह पाया गया है कि सागर जिले में ग्रामीण महिलाओं में शासकीय योजनाओं के प्रति जागरूकता अब भी सीमित है, क्योंकि सागर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी योजनाओं के पर्याप्त प्रचार–प्रसार के बाद भी महिला हितग्राही जागरूक नहीं है। इसका कारण ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं का कम शिक्षित होने के साथ आधुनिक तकनीकी का कम उपयोग करना है। एक और कारण यह है कि अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट नेटवर्क की कमी है। अतः यह शून्य परिकल्पना का सत्यापन होता है कि सागर जिले के ग्रामीण महिलाओं में योजनाओं के प्रति जागरूकता अब भी सीमित है।

**परिकल्पना 2 –** शासकीय योजनाओं में महिलाओं की सामाजिक संरचना में सकारात्मक परिवर्तन आया है।

उपरोक्त परिकल्पना को लेकर किये गये शोध कार्य के अन्तर्गत तालिका क्रमांक 3, 4, 5, 6 के अध्ययन के पश्चात् यह पाया गया है कि सागर जिले में शासकीय योजनाओं से महिलाओं की सामाजिक संरचना में परिवर्तन आया है, इसका कारण महिलाओं की शिक्षा स्तर स्थिति में सुधार आने के साथ महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं से महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार हुआ है, इसका एक और कारण सागर जिले में बेटी बचाओ – बेटी पढ़ाओ योजना से बेटियों के प्रति समाज की सोच में परिवर्तन आया है और महिलाएँ लाड़ली बहना योजना से प्राप्त राशि का उपयोग स्वयं परिवार पर करती है। इससे परिवार में उनकी स्थिति मजबूत हुई है।

अतः यह शून्य परिकल्पना सत्य होती है कि सागर जिले में शासकीय योजनाओं में महिलाओं की सामाजिक संरचना में सकारात्मक परिवर्तन आया है।

**समस्याएँ एवं चुनौतियाँ –** कई बार पुरूष सदस्यों या समुदाय से विरोध का सामना करना पड़ता है। योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवश्यक पूँजी या संसाधन की अनुपलब्धता। ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी कई महिलाएँ योजनाओं की जानकारी से वंचित है। अशिक्षित महिलाओं को कई बार योजनाओं का लाभ सीधे नहीं मिल पाता। उनसे कमीशन या लाभ की अपेक्षा करते है।

**समाधान और सुझाव –** ग्राम स्तर पर सूचना केन्द्र और प्रचार–प्रसार को बढ़ावा देना। पंचायत, स्कूल और समाजसेवी संस्थाओं को योजना कार्यान्वयन से जोड़ना। योजनाओं से जुड़ी महिलाओं को समय–समय पर नई तकनीकों का प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए, ताकि वे समयानुकूल कार्य संपादन कर सकें। सफल महिलाओं की कहानियाँ साझा करके अन्य महिलाओं को प्रेरित करना चाहिए।

**निष्कर्ष –** सागर जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं ने महिलाओं की सामाजिक संरचना को प्रभावित किया है और उन्हें आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर किया है। हालाँकि चुनौतियाँ बनी हुई है, फिर भी योजनाएँ महिला सशक्तिकरण के लिए प्रभावी माध्यम बनकर उभरी है। यदि इन योजनाओं का प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन और व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए तो महिलाओं के आर्थिक विकास की गति और अधिक तीव्र हो सकती है। इन कार्यक्रमों /योजनाओं का मूल्यांकन भौतिक आधार पर नहीं किया जाकर इनके गुणात्मक परिणामों पर आधारित होता है।

**संदर्भ ग्रन्थ सूची :–**

1. डॉ. विप्लव (2013), महिला सशक्तीकरण : विविध आयाम, राहुल पब्लिशिंग हाउस, मेरठ।
2. सोनी साक्षी (2022), महिला सुरक्षा अभियान एवं सशक्तिकरण, पार्क पब्लियर्स, जयपुर।
3. शर्मा, संगीता, शर्मा, राजेश कुमार (2005), महिला विकास एवं राजकीय योजनाएँ , रितु पब्लिकेशन्स, जयपुर।
4. रजी शाहीन, रजी नौशीन (2019) महिला सशक्तिकरण की कवायद, योजना, अगस्त 2019 पृष्ठ संख्या 45–48
5. Verma, S. & Tiwari, A : (2020), "Impect of Women

Centric Government Schemes on Economic Empower -ment in M.P. Social Change and Development." Vo. 14(3) pp 92-109.

6. Mishra. R. K. (2021), "Rural Women Empowerment in Bundelkhand Region : Role of SHG's", International Journal of Rural Development Studies, Vol. 7(2) pp 45-58.
7. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2023–24
8. भारत सरकार प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, दिशा निर्देश http://pmmvy.cas.nic.in
9. http://censusindia.gov.in
10. समाचार पत्र– दैनिक भास्कर।

**********